



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042026-271613  
CG-DL-E-08042026-271613

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1684]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/चैत्र 17, 1948

No. 1684]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/CHAITRA 17, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2026

**का.आ.1751(अ).**— जबकि मेसर्स यूपीसी रिन्यूएबल्स इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (यूपीसीआरआईएमपीएल), आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कार्यालय संख्या 1303, 13वीं मंजिल, रूपा सॉलिटियर सेक्टर संख्या 2, प्लॉट संख्या ए-1, महापे, ठाणे, नवी मुंबई - 400710 पर स्थित है, ने कर्नाटक के विजयपुरा में यूपीसी रिन्यूएबल्स इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (यूपीसीआरआईएमपीएल) के 160 MW पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन योजना में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 25-17/42/2025-पीजी दिनांक 05.05.2025 के अंतर्गत कर्नाटक के विजयपुरा में यूपीसी रिन्यूएबल्स इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 160 MW पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन योजना में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स यूपीसी रिन्यूएबल्स इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, डेक्कन हेराल्ड (अंग्रेजी में) दिनांक 13.06.2025 और राजस्थान पत्रिका (हिन्दी में) दिनांक 13.06.2025, प्रजावाणी (कन्नड़ में) दिनांक 13.06.2025 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 11.10.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स यूपीसी रिन्यूएबल्स इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ने दिनांक 11.02.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स यूपीसी रिन्यूएबल्स इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:

- (i) मेसर्स यूपीसी रिन्यूएबल्स इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का जनरेशन पूलिंग स्टेशन (जनरेशन स्विचयार्ड, देगिनाल गांव, बसवाना बागेवाडी तालुक, विजयपुरा जिला, कर्नाटक में स्थित) - बीजापुर पीएस (आईएसटीएस सब-स्टेशन) डी/सी टावरों पर 220 केवी एस/सी लाइन

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी:

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
देगिनाल, मासबिनाल, डोनूर, इंगलेश्वर टांडा, बिसनल, रबिनाल	बसवाना बागेवाडी	विजयपुरा	कर्नाटक
सतीहाल, सतीहाल टांडा, भैरवदगी, देवुर टांडा, देवुर, मन्नूर, जलावाड, कोरावर	देवर हिप्पारागी	विजयपुरा	कर्नाटक

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स यूपीसी रिन्यूएबल्स इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- मेसर्स यूपीसी रिन्यूएबल्स इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/32/2026-पावर ग्रिड (एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

## MINISTRY OF POWER

### ORDER

New Delhi, the 6th April, 2026

**S.O. 1751(E).**—Whereas M/s UPC Renewables India Management Private Limited (UPCRIMPL), the applicant with its registered office at Office No. 1303, 13<sup>th</sup> Floor, Rupa Solitaire Sector No 2, Plot No A-1, Mahape, Thane, Navi Mumbai - 400710, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for providing connectivity to M/s UPC Renewables India Management Private Limited for its 160 MW Wind Power Project in Vijayapura, Karnataka.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its Letter No. 25-17/42/2025-PG dated 05.05.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme for Transmission system for providing connectivity to M/s UPC Renewables India Management Private Limited for its 160 MW Wind Power Project in Vijayapura, Karnataka.

M/s UPC Renewables India Management Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Deccan Herald (in English) dated 13.06.2025, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 13.06.2025, Prajavani (in Kannada) dated 13.06.2025 and in Weekly Gazette of India dated 11.10.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s UPC Renewables India Management Private Limited has submitted an affidavit dated 11.02.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s UPC Renewables India Management Private Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- (i) Generation pooling station of M/s UPC Renewables India Management Private Limited (Generation switchyard located at Deghinal Village, Basavan Bagewadi Taluk, Vijayapura District, Karnataka) - Bijapur PS (ISTS S/s) 220 kV S/c line on D/c towers.

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Karnataka:

Villages	Tehsil	District	State
Deghinal, Masbinal, Donur, Ingaleshwar Tanda, Bisnal, Rabinal	Basavana Bagewadi	Vijayapura	Karnataka
Satihah, Satihal Tanda, Bhairvadagi, Devur Tanda, Devur, Mannur, Jalawad, Korawar	Devara Hipparagi	Vijayapura	Karnataka

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s UPC Renewables India Management Private Limited for above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s UPC Renewables India Management Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F.No. 25-16/32/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)